तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी उप०। वकील अप्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा है, न्यायहित में समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 23/06/25 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर पाली	
23/06/25	पी.ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है पेशी इल्तवा होकर पत्रावली दिनांक 25/06/25 को पेश हो।	
25/06/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दस्तावेज पेश कर कथन किया कि जैर निगरानी याचिका जिस पट्टे को निरस्त करवाने हेतु पेश की गयी है, उस पट्टे को न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा दिनांक 07.11.2023 को खारिज किया जा चुका हैं, इसलिये पुनः उसी पट्टे पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित नहीं हैं। अतः उक्त निगरानी याचिका को खारिज फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों पर मनन करते हुये प्रस्तुत दस्तावेज एवं सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट ने धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 21/2018–19, संकल्प संख्या 02/20.05.2018 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 004 दिनांक 11.09.2019 को निरस्त करवाने हेतु पेश की हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 60/2022 बअनवान भरत पटेल बनाम भाकरराम अन्तर्गत धारा 97 में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2023 के द्वारा ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मिसल संख्या 21/2018–19, संकल्प संख्या 02/20.05.2018 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 004 दिनांक 11.09.2019 को खारिज किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि प्रार्थी, ग्राम पंचायत के जिस प्रस्ताव एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज करवाना चाहते है वह न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.11.2023 के जरिये खारिज किया जा चुका है। अतः जैर निगरानी याचिका में पुनः उसी धारा के तहत न्यायालय हाजा स्तर पर कोई निर्णय पारित किया जाना उचित नहीं समझते हैं। इसलिये हस्तगत निगरानी निस्प्रयोजन हो जाने से इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। अति. जिला कलक्टर, पाली अति. जिला कलेक्टर, पाली	